



2026:AHC:7739

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 175 वर्ष 2026

यशपाल सिंह

..... याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 8 अन्य

..... प्रतिवादी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : आकाश माधव पांडे, शशांक पांडे
द्विवेदी,

प्रतिवादी के लिए अधिवक्ता : मुख्य शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री आकाश द्विवेदी और राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री गौरव सिंह को सुना।

2. यहां रिट याचिकाकर्ता ने पहले निम्नलिखित अनुतोष की मांग करते हुए रिट-ए संख्या 16821 वर्ष 2025 को वरीयता दी थी:-

"I. प्रतिवादी संख्या 8 द्वारा पारित दिनांक 11.09.2025 के आक्षेपित आदेश को अभिखंडित करते हुए उत्प्रेषण की प्रकृति में एक रिट जारी करें, जिसके द्वारा इस रिट याचिका में याचिकाकर्ता के सेवानिवृत्ति पश्चात बकाया राशि (अनुलग्नक-1 के रूप में संलग्न) से 16,42,227 की राशि कटौती/वसूल की गई है और याचिकाकर्ता की अवकाश नकदीकरण राशि से ₹2,08,470 की राशि भी काट ली गई है (जिसके लिए कोई आदेश पारित नहीं किया गया है)।

II. परमादेश की प्रकृति में एक रिट आदेश या निर्देश जारी करें, जिसमें प्रतिवादी प्राधिकारियों को कटौती/वसूल की गई राशि ₹16,42,227 और 2,08,470 को वापस करने/भुगतान करने का निर्देश दिया जाए।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।
सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



सेवा मेरे द याचिकाकर्ता साथ ही साथ ब्याज, उनपर है याचिकाकर्ता की सेवानिवृत्ति के बाद की बकाया राशि से कटौती/वसूली की गई है।

III. याचिकाकर्ता के पक्ष में कोई अन्य रिट आदेश या निर्देश जारी करें जैसा कि यह माननीय न्यायालय मामले के वर्तमान तथ्यों और परिस्थितियों में उचित और उपर्युक्त समझता है ताकि न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित किया जा सके अन्यथा याचिकाकर्ता को अपूरणीय रूप से नुकसान होगा।

IV. याचिकाकर्ता को याचिका की लागत प्रदान करें।"

3. रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि अब प्रतिवादी संख्या 5, पुलिस उप महानिरीक्षक (खुफिया), मुख्यालय, लखनऊ द्वारा दिनांक 2.09.2025 को एक आदेश पारित किया गया है, जिसके तहत उनकी पेंशन एकपक्षीय रूप से 1,19,000/- रुपये से घटाकर 1,05,550/- रुपये कर दी गई है।

4. उसी पर सवाल उठाते हुए, वर्तमान रिट याचिका को वरीयता दी गई है।

5. रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आक्षेपित आदेश को इस आधार पर साधारण कारण से कायम नहीं रखा जा सकता है कि यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि रिट याचिकाकर्ता को नोटिस नहीं दिया गया है, और यह धोखाधड़ी, छिपाने और दुर्यपदेशन का मामला है।

6. दूसरी ओर, विद्वान स्थायी अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि रिट याचिकाकर्ता के दावे को प्रतिवादी संख्या 5 द्वारा सबसे पहले निर्णय लेने की आवश्यकता है।

5. न्यायालय में इस प्रकार की गई प्रस्तुतियों पर विचार करते हुए, रिट याचिका पर निम्नलिखित तरीके से निर्णय लिया जा रहा है:-

(a) रिट याचिकाकर्ता रिट याचिका की स्व-प्रमाणित प्रति और आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ प्रतिवादी संख्या 5 के समक्ष एक व्यापक प्रत्यावेदन दायर करेगा, जो उक्त प्रस्ताव पर रिट याचिकाकर्ता को कारण बताओ नोटिस जारी करेगा और उसके बाद, सुनवाई के लिए एक दिनांक तय की जाएगी और रिट याचिकाकर्ता उसके बाद दो माह के भीतर अपना जवाब देगा।

(b) दिनांक 03.09.2025 का आदेश पारित किए जाने वाले अगले आदेशों के अधीन होगा।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



6. उपरोक्त टिप्पणियों के साथ, रिट याचिका का निस्तारण किया जाता है।

आदेश दिनांक: जनवरी 13, 2026

एन.एस.राठौर

(माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

Translated version, Not for Legal Use.

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।
सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।